26/10/2017
वकील उभयपक्ष हाजिर / एस. डी. ओ. साहब
दौरे पर / दीगर कार्य /अवकाश पर है। पत्रावली
वास्ते जवाब दिनांक 28/11/2017 को पेश हो।

28/11/2017
वकील उभयपक्ष हाजिर / एस. डी. ओ. साहब
दौरे पर / दीगर कार्य /अवकाश पर है। पत्रावली
वास्ते जवाब दिनांक 22/02/2018 को पेश हो।

22.2.2018
वकील उभयपक्ष हाजिर/एस. डी. ओ. साहब
दौरे पर/दीगर कार्य/अवकाश पर है। पत्रावली
वास्ते बहस दि. 7.6.2018 को पेश हो
SDO सा. आज्ञा से

21.5.18 पत्रावली पेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा 2018 कैम्प पाण्डेली में प्रस्तुत हुई। पक्षकार परोकार सरकार का प्रस्तुत। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकार ता०प० का अवलोकन किया। पक्षकार अनुरूप फागीर एस. डी. ओ. एक्ट 1962 में वर्णित प्रावधान अनुसार राज्य सरकार द्वारा परिपत्र इ.न. 375 दिनांक 3-12-90 अनुसार अ.न. क्रमा 92) अ.न. 2 क्रमा 96) अ.न. 23 क्रमा 26 (ii), 4 किता 3 क्रमा 4 (ii) भूमि आवक गंगाराम पुत्र शिवराम योगी ग्राम सिपालपुरी के नाम दर्ज हुई है। खसरा 2038-41 पत्रावली में कि.न. 377 दिनांक 3.8.91 के विरासत गंगाराम के स्थान भगत पोता पाया पुत्र गंगाराम के नाम फौत-खातेदार दर्ज हुई अनानुरूप रूपा प्राप्त किया। भूमि आवाद करने के क्रम में कोई साक्ष्य पाया जाता विरासती अपील हस्तांतरण संलग्न नहीं किये है। वर्तमान अन्तरिम में आ.न. 172, 920/226, 921/226 किता 3 रकबा 0.57 है पर रूपा नहीं होने के निलामाम कर दी। अतः प्रथम दृष्टया भूमिला रूपा के पक्ष में नहीं बनता है। पत्रावली खारीज की जाती है। फैसल उपरांत कैम्प रूपा के रूप में।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner